कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07762–232668, ई–मेल– cmhoraigarh@rediffmail.com

क्रमांक/स्था.अवि./2026/ 230 /रायगढ़, दिनांक 18/05/2026

–:: आदेश ::–

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/312/2021/857/नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.08.2021 के द्वारा स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम–2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक ESTB-101/484/2025-HEALTH SECTION-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.01.2026 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़ द्वारा विज्ञापन दिनांक 10.06.2022 हेतु फार्मासिस्ट ग्रेड–2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष) तथा ड्रेसर ग्रेड–1 के विज्ञापित पदों पर भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची से उसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भर्ती/नियुक्ति प्रदाय करने की सहमति प्रदान करने के फलस्वरूप जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी, फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेरिट सूची में प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यार्थियों को फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017, वेतन मेट्रिक्स लेवल–06, रू. 25300–80500/– में तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत देय अन्य भत्तों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 6 में दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजु कुमार खाण्डे	श्री बली राम खाण्डे	अजा (भू.पू.सै. के विरूद्ध)	ग्राम पोस्ट गोड़ा, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) 496551	सामु.स्वा.केन्द्र पुसौर जिल रायगढ़ (छ.ग.)

2/ उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

01. चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
02. पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण करने के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं एक सेट सत्यापित प्रति के साथ सत्यापन हेतु डॉ. केनन डेनियल, चिकित्सा अधिकारी–नोडल अधिकारी/ डॉ. एस.के.एस. मण्डल, चिकित्सा अधिकारी–नोडल अधिकारी, स्थानीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के समक्ष उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से सत्यापन करावें तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर पश्चात् पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
03. यह नियुक्ति आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 03.05.2023 अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
04. यह नियुक्ति रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।

क्रमशः– 2

05. अस्थायी नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम–1960 के नियम–12 अनुसार उनकी सेवायें, किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।

06. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 के अंतर्गत देय राशि उनके भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

07. चयनित अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा का शपथ लेना होगा एवं किसी भी राजनीति गतिविधियों में भाग लेना, अस्पृश्यता का व्यवहार करना, सोशल मीडिया में विवादित एवं अप्रिय व्यवहार करना प्रतिबंधित होगा।

08. प्रत्येक नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में रहकर कार्य सम्पादन करना होगा।

09. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन (पुलिस व्हेरीफिकेशन) समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यार्थियों को चरित्र सत्यापन (पुलिस व्हेरीफिकेशन) में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है, उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त मानते हुए उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जावेगी तथा उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

10. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल में न्यूनतम 03 वर्ष तक नियमित सेवायें देना अनिवार्य होगा।

11. चयनित अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की एक सेट अभि–प्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. चयनित अभ्यार्थियों को 01 माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

13. चयनित अभ्यार्थियों को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 के नियमों का तथा शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

14. चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थल पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

15. चयनित अभ्यार्थियों को विभागीय भर्ती नियम एवं विज्ञापन में प्रकाशित नियम व शर्तों के अनुरूप प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज फर्जी अथवा झूठा पाये जाने पर, धोखाधड़ी का प्रकरण मानते हुए सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी। इस हेतु अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण के समय अण्डरटेकिंग (शपथ–पत्र) 50 रू. के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. चयनित अभ्यार्थियों की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट अनुसार निर्धारित होगी।

17. चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 के नियम 8(1) संशोधित नियम 28 जुलाई 2020 अनुसार नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, एवं नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा।

क्रमशः– 3

18. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3/दिनांक 28.07.2020 के तहत किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होंगे।
19. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 33/2023 क्रमांक 571/260/वि.नि./चार/2020 नवा रायपुर दिनांक 12.09.2023 अनुसार सीधी भर्ती के नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के प्रावधान को समाप्त कर, उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किए जाने के निर्देश हैं, अतएव उक्त प्रावधान चयनित अभ्यार्थियों पर लागू होंगे।
20. परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या अभ्यर्थी के विरूद्ध विपरीत टीप पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
21. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के कंडिका 5(ब) अनुसार दिनांक 01.04.2022 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यतः पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
22. चयनित अभ्यार्थियों को निर्धारित मुख्यालय में रहकर सेवायें देना अनिवार्य होगा, कर्तव्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता बरते जाने पर नियमानुसार सेवा समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
23. चयनित अभ्यार्थियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के कदाचार, अनुशासनहीनता, कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
24. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, तत्संबंध में कार्यभार ग्रहण करते समय अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र) 50रु. के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
26. कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे की आवश्यक समझा जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
27. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, नवा रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2023 में उल्लेख अनुसार " कोई भी उम्मीदवार जिन्हें महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या नियुक्ति के पात्र नहीं होगा " उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 376क, 376ख, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पास्को एक्ट) 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंध रहेगा।
28. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं अनंतिम है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है। सत्यापन उपरांत यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से संबंध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है, संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

क्रमशः– 4

29. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
30. कार्यालयीन लिपिकीय त्रुटिवश गलत नियुक्ति हो जाती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें नियमानुसार समाप्त की जा सकेगी।
31. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
32. संबंधित को सेवाकाल के दौरान छ.ग. फार्मेसी कौंसिल का पंजीयन नियमानुसार निरन्तर जीवित रखना होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र./स्था.अवि./2026/ 11527-40 /रायगढ़, दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर जिले की वेबसाईट में अपलोड करवाने हेतु सादर सूचनार्थ।
9. उप संचालक, जिला जनसम्पर्क अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर प्रादेशिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने हेतु सादर सूचनार्थ।
10. सिविल सर्जन सह् मुख्य अस्पताल अधीक्षक, किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
11. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. डॉ. केनन डेनियल, चिकित्सा अधिकारी–नोडल अधिकारी/ डॉ. एस.के.एस. मण्डल, चिकित्सा अधिकारी–नोडल अधिकारी, स्थानीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
13. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय रायगढ़ छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
14. संबंधित अभ्यर्थी ....पिता/पति का नाम .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

18/05/2026
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)